न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी, श्री नेमा राम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 79/2024
जीसीएमएस सं. – 2024/115

प्रार्थीगण : बनाम **अप्रार्थीगण :**

1. जयराम पुत्र धूलाराम जाति जाट निवासी कागल तहसील पीपाड़ शहर

बनाम

1. तेजाराम पुत्र लिछमणराम
2. ओमप्रकाश पुत्र रामदीन
3. छोटाराम पुत्र रामदीन
4. सीता पत्नी रामदीन जातियान जाट निवासीगण कागल तहसील पीपाड़शहर
5. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, पीपाड़ शहर ।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थित अधिवक्ता दर्ज दिनांक 09/04/2024
श्री मधुसूदन चौधरी प्रार्थी की ओर से
श्री मो. फारूख खान अप्रार्थी सं. 2 से 4 की ओर से

निर्णय

दिनांक : 13/10/2025

प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है कि जिसके अनुसार प्रार्थी की खातेदारी कब्जासुद जमीन ग्राम साथीन चक प्रथम की राजस्व सीमा में खंसरा नम्बर 796 रकबा 3.2926 हैक्टेयर बारानी द्वितीय की आयी हुई है सबुत में नकल जमाबन्दी सम्बवत् 2075 से 2078 तक मय खंसरा गिरदावरी व ट्रेस नक्शा संलग्न पेश है। साथीन से सरगिया कलां जाने वाले गै.मु. कटाणी रास्ता व प्रार्थी की खातेदारी कब्जासुद जमीन के मध्य अप्रार्थीगण संख्या एक से चार की खातेदारी कब्जासुद जमीन खंसरा नम्बर 1139/853, 849, 850, 851 व 798 आयी हुई है । प्रार्थी अपनी खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरा नम्बर 796 में आने जाने हेतु सबसे निकटतम व सुलभतम रास्ता अप्रार्थीगण संख्या एक के खेत खंसरा नम्बर 1139/853 में से दक्षिणी तरफ होकर अप्रार्थी संख्या दो से चार की खातेदारी कब्जासुद जमीन खंसरा नम्बर 849 में से पूरब सीमा से होते हुवे खसरा नम्बर 849, 850, 851 में से दक्षिणी सीमा से होकर अप्रार्थी संख्या दो से चार के खेत खंसरा नम्बर 798 में से उत्तरी सीमा से होकर अपने खेत खंसरा नम्बर 796 तक है जिसको संलग्न नजरी नक्शा में लालस्याही से मार्क ए से बी दर्शाया गया है, नजरी नक्शा को प्रार्थना–पत्र का अंग माना जावें। प्रार्थी की खातेदारी कब्जासुद जमीन में प्रार्थी का स्थायी रहवासीय पक्का मकान बना हुआ है जिसमे प्रार्थी परिवार सहित निवास करता है तथा मवेशियान के चारा पुला डालने हेतु बाडा है। प्रार्थी के खेत खंसरा नम्बर 796 मय रहवासीय मकान में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। साथीन से सरगिया जाने वाले गै मु. कटाणी रास्ता से अप्रार्थी संख्या एक के खेत खंसरा नम्बर 1139/853 में से दक्षिण सीमा से होकर प्रार्थी अपने भाई के पुत्र अप्रार्थी संख्या दो, तीन के खेत खसरा नम्बर 849, 850, 851 में से लाल स्याही से दर्शाये रास्ता रास्ता अपने खेत खसरा

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

नम्बर 796 में आता जाता है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या दो से चार एक ही परिवार के व्यक्ति है । प्रार्थी ने अप्राथीगण संख्या एक से चार को वादग्रस्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में रास्ता के रूप में दर्ज करवाने हेतु कहा जिस पर अप्रार्थीगण ने साफ तौर पर मना कर दिया तथा दिनांक 01/04/2024 को अप्रार्थीगण ने ऐलानिया रूप से धमकी दी कि वे प्रार्थी को गै. मु.कटाणी रास्ता से पश्चिम तरफ अप्रार्थीगण की खातेदारी कब्जासुद जमीन में से वादग्रस्त रास्ता प्रार्थी के खेत खंसरा नम्बर 796 मय रहवासीय ढाणी तक आने जाने नहीं देंगे जबकी वादग्रस्त रास्ता गैर मुमकिन कटाणी रास्ता से प्रार्थी के खेत में आने जाने का सबसे निकटतम व सुलभतम रास्ता है इसलिए प्रार्थी को अपनी खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरा नम्बर 796 मय रहवासीय ढाणी में आने जाने हेतु वादग्रस्त रास्ता मार्क ए से बी रास्ता घोषित करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश करना पड़ रहा है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 796 में गैर मुमकिन कटाणी रास्ता से वादग्रस्त रास्ता प्रार्थी के खेत में आने जाने का सबसे निकटतम व सुलभतम रास्ता है इसके अलावा प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 796 मय रहवासीय ढाणी में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है इसलिए प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 796 मय रहवासीय ढाणी में आने जाने हेतु गै. मु. कटाणी रास्ता से 20 फुट चौड़ाई में वादग्रस्त रास्ता मार्क ए से बी रास्ता घोषित फरमायें एवं राजस्व ट्रेस नक्शा में रास्ता की तरमीम किया जाने का आदेश फरमावे । प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 796 मय रहवासीय ढाणी में आने जाने हेतु गै. मु. कटाणी रास्ता से अप्रार्थीगण संख्या एक के खेत खसरा नम्बर 1139/853 में से दक्षिणी तरफ होकर अप्रार्थी संख्या दो से चार की खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरा नम्बर 849 में से पूरब सीमा से होते हुवे खसरा नम्बर 849, 850, 851 में से दक्षिणी सीमा से होकर अप्रार्थी संख्या दो से चार के खेत खसरा नम्बर 798 में से उत्तरी सीमा से होकर प्रार्थी के खेत खंसरा नम्बर 796 मय रहवासीय ढाणी तक 20 फुट चौड़ाई में वादग्रस्त रास्ता मार्क ए से बी रास्ता घोषित फरमायें एवं राजस्व ट्रेस नक्शे में रास्ता की तरमीम किया जाने का आदेश फरमावें।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थी संख्या 01 बाद समन तामिल अनुपस्थित होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी सं. 2 से 4 की ओर से वकील मो. फारूख खान ने वकालतनामा मय जवाब पेश किया जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अपने खातेदारी खेत में रास्ते बाबत प्रस्तुत किया है। परन्तु प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में रास्ता लेने हेतु जो खसरे अप्रार्थीगण सख्या 02, 03, व 04 के अकित किये है। अप्रार्थीगण के खसरान में से ज्यादा भूमि रास्ते बाबत जाया होती है। इसलिए प्रार्थी से अप्रार्थी सख्या 02, 03 व 04 को रास्ते की भूमि के बदले भूमि दिलवाई जाये क्योकि अप्रार्थी सख्या 02, 03 व 04 के पास पहले से ही भूमि का रकबा कम है। अगर इसमें से रास्ता दिया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 02, 03 व 04 के पास कृषि कार्य करने हेतु पर्याप्त भूमि नहीं रहेगी इसलिए अप्रार्थी संख्या 02, 03 व 04 को रास्ते की भूमि के बदले भूमि दिलवाई जाये। अतः प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर विनम्र निवेदन है कि काश्तकार के हितो को ध्यान में रखते हुए अगर रास्ते हेतु प्रार्थी को भूमि दी जाती है तो रास्ता दिया जाने वाली भूमि के बदले अप्रार्थी संख्या 02, 03 व 04 को प्रार्थी के खातेदारी खेत में से भूमि दी जावे। ताकि काश्तकारो के हित प्रभावित न हो

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बीवाड़ शहर (आधपुर)

अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि जिसके अनुसार उपस्थित पक्षकारान की मौजुदगी में मौका निरीक्षण किया गया मौका कमिश्नर रिपोर्ट में तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा कुल 03 विकल्प प्रस्तुत किये गये।

विकल्प संख्या 01 प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता है। विकल्प संख्या 01 के अनुसार ख न 1139/853 में से 0.1375 हैक्टेयर भूमि, ख न 849 मे से 0.1618 हैक्टेयर भूमि, ख न 850 में से 0.0404 हैक्टेयर भूमि नजरी नक्शा अनुसार ए से बी रास्ता हेतु कुल रकबा 0.3397 हैक्टेयर बनता है। ख न 798 प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि है जिसमे प्रार्थी का हिस्सा 9/32 दर्ज है।

विकल्प संख्या 02 के अनुसार ख न 846 से 0.1051 हैक्टेयर भूमि, ख न 847 से 0.1456 हैक्टेयर भूमि , ख न 848 से 0.0566 हैक्टेयर भूमि नजरी नक्शा अनुसार सी से डी रास्ता हेतु कुल रकबा 0.3073 हैक्टेयर बनता है। ख न 798 प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि है जिसमे प्रार्थी का हिस्सा 9/32 दर्ज है।

विकल्प संख्या 03 के अनुसार ख न 748 से 0.0566 हैक्टेयर, ख न 770 से 0.0889 हैक्टेयर, ख न 768 से 0.0485 हैक्टेयर, ख न 795 से 0.1860 हैक्टेयर नजरी नक्शा अनुसार जी से एच रास्ता हेतु कुल रकबा 0.3800 हैक्टेयर बनता है ।

हमने बहस वकुलाय सुनी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में पुनः निवेदन करते हुए कहा कि प्रार्थी को ग्राम साथीन चक प्रथम के खसरा नम्बर 796 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1139/853, 849, 850, 851 मे से रास्ता मौका फर्द में दर्शाये अनुसार दिये जाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण 2 से 4 ने अपनी बहस में अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब के बिन्दुओं को दौहराते हुए अप्रार्थी संख्या 02, 03 व 04 को प्रार्थी की खातेदारी भूमि में से भूमि दिलवाने का निवेदन किया गया।

हमने बहस अधिवक्ता, पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों, जवाब वकील अप्रार्थीगण एवं तहसीलदार पीपाड़ शहर की मौका कमिश्नर रिपोर्ट का अवलोकन किया जिसके अनुसार सुविधा व संतुलन की दृष्टि से प्रार्थी को ग्राम साथीन चक प्रथम के खसरा नम्बर 796 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1139/853, 849, 850, 851 मे से रास्ता मौका फर्द में दर्शाये अनुसार दिया जाना उचित हैं।

नजरी नक्शा अनुसार मौके पर रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि के खसरान् एवं भूमि के डी.एल.सी. दर की गणना करने पर निम्न अनुसार राशि होना पाया ।

खसरा नम्बर	रकबा	राशि नियमानुसार डीएलसी दर की दुगुनी	कुल देय
1139/853	0.1375 हैक्टेयर	103167 X 2	28370/-
849	0.1618 हैक्टेयर	103167 X 2	33384/-
850	0.0404 हैक्टेयर	103167 X 2	8336/-
कुल योग	0.3397 हैक्टेयर		70090

उपरोक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि डी.एल.सी.दर से गणना कर पालना रिपोर्ट तैयार की गई ।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

अतः राजस्व ग्राम साथीन चक प्रथम के खसरा नम्बर 796 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1139/853, 849, 850, 851 में से तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्रस्तुत कमिश्नर रिपोर्ट में दर्शाये अनुसार कुल क्षेत्रफल 0.3397 हैक्टेयर भूमि को रास्ते के उपयोग हेतु घोषित की जाती है । प्रार्थी राशि 70090/- रूपये का चैक/डी.डी. अप्रार्थी राजकोष के नाम से तहसीलदार पीपाड़ शहर के समक्ष जमा करावे ।

तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राशि 70090/- रूपये का चैक/ डी. डी. प्रार्थी से प्राप्त कर अप्रार्थी/राजकोष में जमा करावें एवं रास्ते की भूमि की तरमीम राजस्व नक्शे में करें इस आशय की तहरीर तहसीलदार पीपाड़ शहर के नाम जारी हो । मौका कमिश्नर रिपोर्ट व उसमें संलग्न मौका फर्द एवं नजरी नक्शे को निर्णय का अंग समझा जायें खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

निर्णय आज दिनांक 13/10/2025 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)